भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3881

उत्तर देने की तारीख 24 मार्च, 2025

सोमवार, 03 चैत्र, 1947 (शक)

बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम हेतु आवंटित धनराशि

3881. श्री छत्रपाल सिंह गंगवार:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

सरकार द्वारा देश में, विशेषकर बरेली में बेरोजगार युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम हेतु आवंटित निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एस आई एम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्मशीलता मंत्रालय (एम एस डी ई) विभिन्न योजनाओं, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी एम के वी वाई), जन शिक्षण संस्थान (जे एस एस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्द्धन योजना (एन ए पी एस), के अंतर्गत, कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः कौशल और कौशलोन्नयन, और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई टी आई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सी टी एस), देश भर में समाज के सभी वर्गों को प्रशिक्षण प्रदान करता है । एस आई एम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल युक्त करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

एम एस डी ई की योजनाओं के तहत जिलों को सीधे धनराशि जारी नहीं की जाती हैं। पी एम के वी वाई और जे एस एस योजनाओं के तहत धनराशि निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण लागत को पूरा करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी की जाती है । जे एस एस योजना के तहत गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) को सीधे धनराशि जारी की जा रही है। एन ए पी एस के तहत, शिक्षुओं को डी बी टी के माध्यम से प्रति माह 1500/- रुपये तक का वृत्तिका सहायता प्रदान की जाती है । आईटीआई के संबंध में दैन्दिन प्रशासन के साथ-साथ वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के पास है। देश भर में और उत्तर प्रदेश के लिए एमएसडीई की योजनाओं के तहत जारी की गई धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

योजना	**जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपए)**	
	अखिल भारत	**उत्तर प्रदेश**
पी एम के वी वाई (वर्ष 2015-16 से 31.12.2024 तक)	9401.86	1411.71
एन ए पी एस (वर्ष 2018-19 से 31.12.2024 तक)	1,508.89	107.03
जे एस एस (वर्ष 2018-19 से 28.02.2025 तक)	806.40	145.59

*****